तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मी कोर्ट से दस्तावेज मार्क के-3 के साथ पेश किये। प्रति.क्र.-3/1 से 3/4 भी कोर्ट से जारिये इश्तहार श्री महेन्द्रकौर प्रति. क्र. 2 भी कोर्ट से पेश जवाब दी प्रति.क्र.-3/1 से 3/4 नाना जावे। साइन प्रतिवादी क्र.1 में प्रति. जेल सिंह का प्रार्थना-पत्र O1 R 4 CPC पेश किया। प्रति. क्र. 2, 4 से 8 कोई साइन पेश नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस काउन्टर क्लेम प्रति- क्र.1 दिनांक 25.1.19 को पेश हो।
25.1.19	प्रतिवादी क्र.1 व 2, 4 से 8 उप.। बहस काउन्टर क्लेम हेतु समय दिया जाता है। पत्रा. दिनांक 28/1/19 को पेश हो।
28.1.19	पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रति क्र. 1, 2, 4 से 8 उप. बहस काउन्टर क्लेम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 4.2.19 को पेश हो।
4.2.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी का वाद-पत्र अबेट होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी क्र.1 का काउन्टर क्लेम साबित होने से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल पत्रावली है। पत्रा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिह,पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 21/2010

भाग सिंह(मृतक) पुत्र बग्गू सिंह जाति चमार निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

–– **वादी**

बनाम

1. गेज सिंह पुत्र बग्गू सिंह जाति चमार निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)।
2. महेन्द्र कौर पत्नी हाकम सिंह पुत्र बग्गू सिंह जाति चमार निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
3. गुलाब सिंह (मृतक) पुत्र हाकम सिह जाति चमार निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
   - 3/1 गुरमीत कौर पत्नी स्व.गुलाब सिंह
   - 3/2. बबली पुत्री स्व. गुलाब सिंह
   - 3/3. मंजू पुत्री स्व. गुलाब सिंह
   - 3/4. संदीप पुत्र स्व. गुलाब सिंह

   अकवाम रामदासिया (चमार) निवासीयान चक 7 के.एन.डी. रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. प्रकाश कौर पुत्री हाकम सिंह पुत्र बग्गू सिंह
5. सर्वजीत कौर पत्नी रोशन सिंह पुत्र हाकम सिंह
6. जसप्रीत सिंह
7. राजप्रीत सिंह
8. नवजोत सिंह

   पुत्रगण रोशनसिंह पुत्र हाकमसिंह नाबालिगान जरिये कुदरती वालिया सर्वजीत कौर पत्नी रोशन सिंह जाति चमार निवासी जण्डावाली तह. व जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।

–– प्रतिवादीगण

प्रतिदावा बाबत घोषणात्मक एवं शाश्वत व्यादेश

उपस्थितिः–
1. श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या–1
2. श्री सुरेन्द्र सहारण अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 ता 8

दिनांकः– 04.02.2019

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी भाग सिंह ने उक्त वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादीगण की चक 3 जेडीडब्ल्यू में खाता संख्या 57/54 में प0नं0 92/231 (24) किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 कुल 265 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह कथन किये कि वादी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या–1 व अन्य प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है जिसे गेज सिंह प्रतिवर्ष वादी से उसके हिस्सा की कृषि भूमि लेकर ठेका पर काश्त करता है। वादी का कुल 1.265 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा है। वर्ष 2010 में प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादी को उसके हिस्से की कृषि भूमि का ठेका देने से मना कर दिया और वादी को उसके हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा देने से भी इन्कार कर दिया। वादी ने अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा की कि घोषणा फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित वादी के हिस्सा की कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व वादी को वाद पत्र के निस्तारण तक प्रतिवादी संख्या–1 से मध्यवर्ती लाभ दिलवाया जावे व वादी का प्रतिवादीगण से अच्छी मंदी के अनुसार विभाजन कर खाता अलग कायम किया जावे व वादी को उसके हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या–1 से दिलवाया जावे। उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किये कि उपरोक्त कृषि भूमि में वादी व हाकम सिंह अथवा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा अतिरिक्त कथन व काउंटर क्लेम में यह कथन किये कि वादी व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता बग्गू पुत्र खानासिंह को चक नम्बर 10 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ के प0नं0 78/241 किला नं0 16 ता 25 व प0नं0 78/244 के किला नं0 1 ता 13 व चक 3 जेडीडब्ल्यू के प0नं0 92/231 किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 कुल 28 बीघा कृषि भूमि मय गैरमुमकिन अलॉट हुई। बग्गू सिंह के फौत होने के पश्चात बग्गू सिंह के तीन पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या–1 तथा हाकम सिंह व एक पुत्री श्रीमती भगवानकौर को उपरोक्त 28 बीघा कृषि भूमि बहिस्सा बराबर औद हुई। भगवानकौर ने उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा दस्तबरदारी दिनांक 04.03.1981 के जरिये अपने भाईयों वादी व प्रतिवादी संख्या–1 तथा हाकम सिंह के पक्ष में त्याग दिया। तत्पश्चात तीनों भाईयों वादी व प्रतिवादी संख्या–1 तथा हाकम सिंही के मध्य बग्गू सिंह की उपरोक्त 28 बीघा भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से घराघरू बंटवारा हुआ। उक्त घराघरू बंटवारा में वादी भाग सिंह को चक 10 जेआरके के प0नं0 78/241 किला नं0 16 ता 20 व प0नं0 78/244 किला नं0 3 में 6–2/3 बिस्वा 8, 9, 12, 13 कुल 9 बीघा 6–2/3 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या–1 को चक 10 जेआरके के प0नं0 78/244 किला नं0 1, 2, 3 में 7 बिस्वा, 10, 11, व चक 3 जेडीडब्ल्यू के प0नं0 92/231 किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 कुल 9 बीघा 7 बिस्वा व हाकम सिंह को चक नं0 10 जेआरके के प0नं0 78/241 किला नं0 21 ता 25 व प0नं0 78/244 किला नं0 3 में 6–2/3, 4 ता 7 कुल 9 बीघा 6–2/3 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने काउंटर क्लेम में यह भी कथन किये कि उक्त घराघरू बंटवारा मौके पर लागू हो गया तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 तथा हाकम सिंह इसी घराघरू बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज हो गये। वादी ने उक्त घराघरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि चक 10 जेआरके प0नं0 78/241 किला नं0 16 ता 20 जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 18.05.83 को जरनैल सिंह पुत्र प्रताप सिंह को विक्रय कर दिया व इसके अलावा वादी ने चक 10 जेआरके के प0नं0 78/244 किला नं0 3 में 6–2/3 बिस्वा, किला नं0 8,9, 12, 13 कुल 4 बीघा 6–2/3 बिस्वा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा सुखमन्द्र सिंह को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी संख्या–1 के भाई हाकम सिंह ने भी घराघरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि चक 10 जेआरके के प0नं0 78/241 के किला नं0 21 ता 25 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.05.84 को बोगा सिंह पुत्र रणसिंह को विक्रय कर दी। इसके अलावा हाकम सिंह ने शेष रही कृषि भूमि 10 जेआरके के प0नं0 78/244 किला नं0 3 में 6–2/3 बिस्वा 4 ता 7 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.05.84 को नत्थ सिंह पुत्र करनैल सिंह को विक्रय कर दी। इस प्रकार वादी भाग सिंह व हाकम सिंह ने अपने हक व हिस्सा की समस्त कृषि भूमि विक्रय कर दी। प्रतिवादी संख्या–1 को घराघरू बंटवारा में प्राप्त कुल 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या–1 ने भी चक 10 जेआरके के प0नं0 78/244 किला नं0 1, 2 3 में 7 बिस्वा, 10, 11 कुल 4 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

10, 11 कुल 4 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.01.83 को बग्गड़ सिंह व कर्म सिंह पिसरान हजूर सिंह को विक्रय कर दी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–1 के पास प्रश्नगत कृषि भूमि चक 3 जेडीडब्ल्यू के प0नं0 92/231 किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 कुल 5 बीघा भूमि शेष रही जो प्रतिवादी संख्या–1 की अकेले हक व अधिकार की है लेकिन राजस्व अभिलेख में वादी व हाकम सिंह का नाम अंकन होने से प्रतिवादी के अधिकारों पर धुंध छा गई है इसलिये प्रतिवादी जरिये काउंटर क्लेम इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या–1 चक 3 जेडीडब्ल्यू के प0नं0 92/231 किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 कुल 5 बीघा भूमि का एकल खातेदार है तथा शाश्वत व्यादेश इस आशय का प्राप्त करने का अधिकारी है कि उपरोक्त 5 बीघा कृषि भूमि को वादी किसी प्रकार से बैय व मुन्तकिल नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या–1 के आधिपत्य व धारण में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद पत्र का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 2, 4 से 8 ने प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार किया तथा 28 बीघा भूमि बग्गू सिंह की होने व तीनों भाईयों में घराघरू बंटवारा होने तथा वादी भाग सिंह व हाकम सिंह द्वारा अपना–अपना समस्त हिस्सा विक्रय करने तथा प्रश्नगत भूमि मात्र प्रतिवादी संख्या–1 की होने के कथन किये। प्रतिवादी संख्या–3 के वारिसान ने भी इसी जवाबदावा को अपना जवाब समझने के कथन किये। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउंटर क्लेम का जवाब प्रतिवादी संख्या 2, 4 से 8 ने भी प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या–1 के काउंटर क्लेम को स्वीकार किया।

वादी की मृत्यु होने के पश्चात् वादी के वारिसान द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण वादी का वाद पत्र दिनांक 07.01.2019 को अबैट किया गया। वीर सिंह पुत्र जैला सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किये कि उसके द्वारा भाग सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07.10.2013 भूमि खरीद की है, उसे पक्षकार बनाया जावे। दिनांक 07.01.2019 को वीर सिंह का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने अपनी साक्ष्य में चक 10 जेआरके की कृषि भूमि का इन्तकाल जो उसके पिता के नाम से दर्ज था व चक 10 जेआरके की जमाबंदी बग्गू सिंह के नाम दर्ज थी व चक 3 जेडीडब्ल्यू की सनद जो बग्गू सिंह के नाम जारी हुई है व जमाबंदी जिसमें तीनों भाईयों का नाम दर्ज है, वादी द्वारा विक्रय की गई भूमि के रजिस्टर्ड बैयनामें व हाकम सिंह द्वारा विक्रय की गई कृषि भूमि के रजिस्टर्ड बैयनामा व प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा चक 10 जेआरके की कृषि भूमि के विक्रय किये जाने का रजिस्टर्ड बैयनामा व वीर सिंह के पक्ष में निरस्ती बैयनामा व सिविल न्यायालय की निर्णय एवं डिक्री को बतौर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 पर अंतिम बहस सुनी गई। अंतिम बहस मे प्रतिवादी संख्या–1 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 के पिता बग्गू सिंह के पिता के पास कुल 28 बीघा भूमि थी। बग्गू सिंह के फौत होने के पश्चात् बग्गू सिंह के तीन पुत्रों वादी व प्रतिवादी संख्या–1 तथा हाकम सिंह व बहन भगवानकौर को उपरोक्त 28 बीघा भूमि औद हुई। भगवानकौर ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में तर्क कर देने के पश्चात तीनों भाईयों में बंटवारा हुआ। उक्त बंटवारा में जवाबदावा मय काउंटर क्लेम की चरण संख्या 11 में तीनों भाईयों को कृषि भूमि प्राप्त हुई। वादी भाग सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रदर्श ए–7 के जरिये कृषि भूमि विक्रय कर दी व हाकम सिंह ने भी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामें प्रदर्श ए–8 के जरिये कृषि भूमि विक्रय कर दी। प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने हक व हिस्सा की 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रदर्श ए–10 के विक्रय कर दी। इस प्रकार प्रश्नगत 5 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या–1 हक, हिस्सा व अधिकार की है। वीर सिंह ने दौराने वाद पत्र व न्यायालय के स्थगन होने के बावजूद भाग सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 07.10.2013 को अपने नाम करवा लिया। इस बैयनामें को अवैध व शुन्य घोषित करने हेतु प्रतिवादी संख्या–1 ने

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

करवा लिया। इस बैयनामें को अवैध व शुन्य घोषित करने हेतु प्रतिवादी संख्या–1 ने सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 14.12.2018 को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) हनुमानगढ़ ने बैयनामा दिनांक 07.10.2013 को अवैध व शुन्य घोषित करने के सम्बंध में निर्णय व डिक्री पारित की व डिक्री की पालना में बैयनामा दिनांक 07.10.2013 पर निरस्ती का नोट भी अंकित हो चुका है। अन्त में काउण्टर क्लेम का विरोध नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने । काउंटर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। बग्गू सिंह की कुल 28 बीघा कृषि भूमि थी तथा बग्गू सिंह के फौत होने के पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या–1 व हाकम सिंह तथा उनकी बहन भगवानकौर को औद हुई। भगवानकौर द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में हिस्सा तर्क करने के पश्चात तीनों भाईयों के मध्य बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के तथ्य भाग सिंह व हाकम सिंह द्वारा निष्पादित करवाये गये बैयनामेंजात से भी साबित है। प्रतिवादी संख्या–1 ने भी अपने हक व हिस्सा की भूमि 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि विक्रय की है। प्रशनगत भूमि चक 3 जेडीडब्ल्यू के प0नं0 92/231 किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 कुल 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या–1 के हक, हिस्सा व अधिकार की है। इस तथ्य को अन्य प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है तथा वादी का वाद पत्र वादी की मृत्यु होने तथा वारिसान के रिकार्ड पर नही होने से अबेट हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 के काउण्टर क्लेम का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद पत्र अबेट होने से खारिज किया जाता है व प्रतिदावा(काउण्टर क्लेम) प्रतिवादी संख्या–1 डिक्री किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी चक चक 3 जेडीडब्ल्यू प0नं0 92/231 किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 कुल 5 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 को एकल खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम अंकन किया जावे। यदि प्रश्नगत आराजी बैंक रहन हो तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर ही अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 4.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिहं पुरोहित (आर.ए.एस.)

भाग सिंह(मृतक) पुत्र बग्गू सिंह जाति चमार निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

–– वादी

बनाम

1. गेज सिंह पुत्र बग्गू सिंह जाति चमार निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. महेन्द्र कौर पत्नी हाकम सिंह पुत्र बग्गू सिंह जाति चमार निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
3. गुलाब सिंह (मृतक) पुत्र हाकम सिह जाति चमार निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
   - 3/1 गुरमीत कौर पत्नी स्व.गुलाब सिंह अकवाम रामदासिया (चमार) निवासीयान चक
   - 3/2. बबली पुत्री स्व. गुलाब सिंह 7 के.एन.डी. रावला तहसील घड़साना जिला
   - 3/3. मंजू पुत्री स्व. गुलाब सिंह श्रीगंगानगर।
   - 3/4. संदीप पुत्र स्व. गुलाब सिंह
4. प्रकाश कौर पुत्री हाकम सिंह पुत्र बग्गू सिंह
5. सर्वजीत कौर पत्नी रोशन सिंह पुत्र हाकम सिंह
6. जसप्रीत सिंह पुत्रगण रोशनसिंह पुत्र हाकमसिंह नाबालिगान जरिये कुदरती वालिया
7. राजप्रीत सिंह सर्वजीत कौर पत्नी रोशन सिंह जाति चमार निवासी जण्डावाली तह.
8. नवजोत सिंह व जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।

–– प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88–188 राज.काश्तकारी अधि.

वादी का वाद पत्र अबेट होने से खारिज किया जाता है व प्रतिदावा(काउण्टर क्लेम) प्रतिवादी संख्या–1 डिक्री किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी चक चक 3 जेडीडब्ल्यू प0नं0 92/231 किला नं0 6, 15, 16, 24, 25 कुल 5 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 को एकल खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम अंकन किया जावे। यदि प्रश्नगत आराजी बैंक रहन हो तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर ही अमल दरामद किया जावे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 4.2.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक
कलक्टर हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner